1

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 129 / 2023

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पवन कंवर पत्नि रामसिंह के का० मु० – 1/1 देवीसिंह गोदीपुत्र पवन कंवर पत्नि रामसिंह जाति राजपुत निवासी देवली हुल्ला तहसील सोजत जिला पाली।		1. नाति पत्नि सोहनिया जाति दमामी 2. मैनी देवी पत्नि पारसमल जाति बावरी 3. ओगडराम पुत्र घीसाराम जाति देवासी 4. मिश्रीलाल पुत्र घीसाराम जाति देवासी 5. शैतानराम पुत्र घीसाराम जाति देवासी निवासीगण देवली हुल्ला तहसील सोजत जिला पाली। 6. सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली। 7. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 592 रकबा 0.9100 है0, खसरा नंबर 592/889 रकबा 0.9700 है0, खसरा नंबर 377 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नंबर 594 रकबा 1.7000 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में वर्णित अ, ब, स, द रास्ता ख.नं. 592, 592/889, 377 में से लाल रंग से दर्शित हैं। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा देवली हुल्ला के खसरा नंबर 592, 592/889, 377 कृषि भूमि में से उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित के अनुसार दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 5 बावजूद सूचना/तामिली बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहने से अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक / निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक / रीडर / 2024 / 781 दिनांक 10.06.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरूं प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि सरहद मौजा देवली हुल्ला के ख0नं0 594 में जाने हेतु ख.नं. 377, 592, 592 / 889 में से रास्ते की मांग की गई हैं, उक्त खसरे में राजस्व रेकर्ड अनुसार आस–पास कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। ख.नं. 377 किस्म गै0मु0 मगरी (खनिज बाहुल्य क्षेत्र) सिवायचक दर्ज हैं। खसरा नंबर 377 में ही एक प्रचलित रास्ता (राजस्व रेकर्ड में नहीं) चलयमान हैं। उक्त खसरा नंबर 377, ख.नं. 594 से लगता हुआ हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 6 मीटर × 6 मीटर = 0.0036 है0 हैं। ख0नं0 592 रकबा 0.9100 है0 में से 0.0036 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 212872 / – रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (212872 / – रू0 × 2 × 0.0036 है0 = 1533 / – रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा / हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 592 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पंत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला के खसरा नम्बर 594 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 592, 592 / 889 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नही होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 592 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना / विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 594 रकबा 1.7000 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खसरा नंबर 592 रकबा 0.9100 है0 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (212872 / — रू0 × 2 × 0.0036 है0 = 1533 / — रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः—

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारों / काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	592 बा.दो.	0.9100 है0	नाति पत्नि सोहनीया हि0 1/2 जाति—दमामी सा. देह खोतदार	6 मी0× 6 मी0 = 0.0036 है0	766.5 /—रू
02.			मैनादेवी पत्नि पारसमल हि01/2 जाति—बावरी सा. देह खोतदार		766.5 /—रू

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जावे एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)